भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 237
जिसका उत्तर मंगलवार 05 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

237. श्री राधेश्याम बिश्वास:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में अपनी 95% धारित हिस्सेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड देश की अग्रणी विनिर्माण इकाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने रणनीतिक भागीदारी चिन्हित की है और इस संबंध में निबंधन और शर्तों का निर्णय लिया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) सरकार द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): नीति आयोग ने रणनीतिक विनिवेश के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों की पहचान की है, जिन्हें सरकार के लिए "उच्च प्राथमिकता" के रूप में नहीं माना जाता है जहां ताजा निवेश, तकनीकी उन्नयन और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से निजी क्षेत्र इन्हें लाभकारी बना सकते हैं। नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और विनिवेश संबंधी सचिवों के मुख्य समूह (सीजीडी) द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दो स्तर वाली बोली प्रक्रिया के माध्यम से पहचान किए जाने वाले रणनीतिक क्रेता को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में 93.87% की भारत सरकार की संपूर्ण अंशधारिता के विनिवेश हेतु दिनांक 27.10.2016 को आयोजित बैठक में 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया।

(ग): जी, नहीं। देश में इसी क्षेत्र में अन्य बड़ी कंपनियां हैं। एसआईएएम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में तिपहिया खंड में एसआईएल का घरेलू अंशदान 0.44% है।

(घ): जी, नहीं। निवेश एवं लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ): उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।

(च): स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2010 में रुग्ण घोषित किया गया था और यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के कार्य क्षेत्र में आ गया। दिनांक 31.03.2013 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव के अनुसार, एसआईएल को निम्नलिखित सहायता की परिकल्पना की गई है/उपलब्ध कराई गई है:

i. पूंजीगत व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में ₹70.38 करोड़ की निधि का निवेश।
ii. कार्यशील पूंजी के लिए भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त योजना ऋण के रूप में ₹20 करोड़।
iii. दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹85.21 करोड़ के योजना और योजनेतर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन।
iv. दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार ₹26.37 करोड़ की देनदारी और उपार्जित ब्याज का अधित्याग।

दिनांक 23.05.2018 को सीसीईए ने निम्नानुसार एसआईएल को सहायता भी अनुमोदित की:

i. संचयी हानि की तुलना में भारत सरकार द्वारा धारित एसआईएल की शेयर पूंजी में ₹85.21 करोड़ की इक्विटी की कटौती (दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार प्रभावी)
ii. कंपनी को इसके जारी होने की तिथि से वर्ष 2012-13 के दौरान एसआईएल को जारी ₹1.89 करोड़ के योजनेतर ऋण पर ब्याज को रोकना; और
iii. ₹1.89 करोड़ की बकाया मूलधन राशि का इक्विटी में परिवर्तन।

****